महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 105

महिला और बाल विकास मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		8482.32	73.67	8555.99	11000.00	70.50	11070.50	10370.00	74.27	10444.27	12650.00	83.00	12733.00
पूंजी		*...*	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**8482.32**	**73.67**	**8555.99**	**11000.00**	**70.50**	**11070.50**	**10370.00**	**74.27**	**10444.27**	**12650.00**	**83.00**	**12733.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	1.22	18.42	19.64	2.00	17.11	19.11	2.00	20.67	22.67	2.00	20.40	22.40
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
बाल कल्याण													
2. समेकित बाल विकास योजनाएं (आईसीडीएस)	2235	15.39	...	15.39	25.20	...	25.20	22.62	...	22.62	28.52	...	28.52
	3601	8059.91	...	8059.91	7699.51	...	7699.51	8233.59	...	8233.59	8848.45	...	8848.45
	3602	79.22	...	79.22	82.00	...	82.00	84.00	...	84.00	87.22	...	87.22
	जोड़	*8154.52*	...	*8154.52*	*7806.71*	...	*7806.71*	*8340.21*	...	*8340.21*	*8964.19*	...	*8964.19*
3. विश्व बैंक आईसीडीएस-IV परियोजना	2235	...	...	...	0.01	...	0.01	1.99	...	1.99	75.00	...	75.00
	3601	...	...	...	125.98	...	125.98	88.00	...	88.00	253.00	...	253.00
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	2.00	...	2.00
	जोड़	...	...	...	*126.00*	...	*126.00*	*90.00*	...	*90.00*	*330.00*	...	*330.00*
4. यूनिसेफ को अंशदान	2235	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80
5. राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी)	2235	6.70	14.80	21.50	9.00	13.50	22.50	7.65	14.80	22.45	9.90	15.00	24.90
6. कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	2235	99.93	0.01	99.94	63.00	0.35	63.35	63.00	...	63.00	76.50	...	76.50
7. शिशुगृह योजना	2235	1.96	...	1.96	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. बेसहारा बच्चों हेतु समेकित स्कीम	2235	3.34	...	3.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. कामकाजी बच्चों के कल्याण और जरूरतमंद बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की स्कीम	2235	9.50	...	9.50	11.25	...	11.25	11.25	...	11.25	9.00	...	9.00
10. किशोरों के कुसामंजस्य का निवारण एवं नियंत्रण की स्कीम	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	7.93	...	7.93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*7.93*	...	*7.93*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सीएआरए)	2235	0.43	1.15	1.58	1.80	1.50	3.30	1.80	1.35	3.15	6.30	2.00	8.30

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
12. समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2235	9.33	...	9.33	22.00	...	22.00	18.00	...	18.00	39.00	...	39.00
	3601	33.30	...	33.30	240.00	...	240.00	66.00	...	66.00	196.00	...	196.00
	3602	...	...	...	8.00	...	8.00	4.00	...	4.00	8.00	...	8.00
	जोड़	*42.63*	*...*	*42.63*	*270.00*	*...*	*270.00*	*88.00*	*...*	*88.00*	*243.00*	*...*	*243.00*
13. बालिकाओं हेतु बीमा सहित सशर्त नकद हस्तांतरण स्कीम (धनलक्ष्मी)	2235	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
14. किशोरियों की अधिकारिता के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)	2235	...	...	...	3.00	...	3.00	1.02	...	1.02	7.20	...	7.20
	3601	...	...	...	882.00	...	882.00	299.88	...	299.88	656.60	...	656.60
	3602	...	...	...	15.00	...	15.00	5.10	...	5.10	11.20	...	11.20
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*900.00*	*...*	*900.00*	*306.00*	*...*	*306.00*	*675.00*	*...*	*675.00*
15. अन्य योजनाएं	2235	24.77	0.24	25.01	58.10	0.68	58.78	58.10	0.68	58.78	59.31	0.68	59.99
जोड़-बाल कल्याण		**8356.71**	**20.00**	**8376.71**	**9255.86**	**19.83**	**9275.69**	**8976.01**	**20.63**	**8996.64**	**10383.20**	**21.48**	**10404.68**
महिला कल्याण													
16. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	2235	7.00	...	7.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	4.50	...	4.50
17. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल	2235	9.40	...	9.40	13.48	...	13.48	13.48	...	13.48	8.98	...	8.98
	3601	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*9.40*	*...*	*9.40*	*13.50*	*...*	*13.50*	*13.50*	*...*	*13.50*	*9.00*	*...*	*9.00*
18. प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता	2235	12.28	...	12.28	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	17.50	...	17.50
19. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2235	25.97	18.29	44.26	38.25	19.00	57.25	43.20	19.00	62.20	41.40	19.18	60.58
20. अल्पावास गृह	2235	16.00	1.35	17.35	22.50	0.75	23.25	27.00	...	27.00	33.30	...	33.30
21. जागरूकता सृजन कार्यक्रम	2235	6.00	...	6.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.80	...	1.80
22. राष्ट्रीय महिला आयोग	2235	4.85	4.30	9.15	4.50	3.25	7.75	4.50	2.85	7.35	8.10	3.30	11.40
23. राष्ट्रीय महिला कोष	2235	16.00	...	16.00	15.00	...	15.00	...	...	...	90.00	...	90.00
24. स्वयंसिद्धा-चरण-II	2235	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	0.38	...	0.38
	3601	...	...	...	3.50	...	3.50	...	...	...	2.16	...	2.16
	3602	...	...	...	0.50	...	0.50	...	...	...	0.16	...	0.16
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*5.00*	*...*	*5.00*	*...*	*...*	*...*	*2.70*	*...*	*2.70*
25. स्वाधार	2235	14.97	...	14.97	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	26.50	...	26.50
26. देह व्यापार की रोकथाम की व्यापक योजना (उज्जवला)	2235	4.99	...	4.99	9.00	...	9.00	6.30	...	6.30	9.00	...	9.00
27. प्रियदर्शिनी स्कीम	2235	0.04	...	0.04	29.79	...	29.79	29.79	...	29.79	26.10	...	26.10
28. अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व के विकास की स्कीम	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29. महिलोन्मुख बजट आयोजना और लैंगिक आंकड़े	2235	0.29	...	0.29	1.80	...	1.80	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90
30. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	2235	...	...	...	2.00	...	2.00	0.77	...	0.77	5.80	...	5.80
	3601	...	...	...	344.00	...	344.00	132.31	...	132.31	455.60	...	455.60
	3602	...	...	...	5.00	...	5.00	1.92	...	1.92	6.60	...	6.60
	जोड़	...	...	...	*351.00*	...	*351.00*	*135.00*	...	*135.00*	*468.00*	...	*468.00*
31. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन	2235	...	...	...	40.00	...	40.00	10.00	...	10.00	13.00	...	13.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	22.00	...	22.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	...	...	...	*40.00*	...	*40.00*	*10.00*	...	*10.00*	*36.00*	...	*36.00*
32. अन्य कार्यक्रम (बलात्कार की शिकार महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास)	2235	...	0.09	0.09	36.00	0.20	36.20	0.05	0.20	0.25	0.30	7.20	7.50
	3601	...	...	...	...	...	...	8.60	...	8.60	122.70	...	122.70
	3602	...	...	...	...	...	...	0.35	...	0.35	3.00	...	3.00
	जोड़	...	*0.09*	*0.09*	*36.00*	*0.20*	*36.20*	*9.00*	*0.20*	*9.20*	*126.00*	*7.20*	*133.20*
जोड़-महिला कल्याण		**117.79**	**24.03**	**141.82**	**630.34**	**23.20**	**653.54**	**343.19**	**22.05**	**365.24**	**900.80**	**29.68**	**930.48**
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**8474.50**	**44.03**	**8518.53**	**9886.20**	**43.03**	**9929.23**	**9319.20**	**42.68**	**9361.88**	**11284.00**	**51.16**	**11335.16**
पोषाहार													
33. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	2236	...	...	...	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	43.00	...	43.00
	3601	...	...	...	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	46.00	...	46.00
	3602	...	...	...	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
	जोड़	...	...	...	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*	*90.00*	...	*90.00*
34. अन्य योजनाएं (पोषाहार शिक्षा योजना)	2236	8.70	11.22	19.92	10.80	10.36	21.16	10.80	10.92	21.72	9.00	11.44	20.44
जोड़-पोषाहार		**8.70**	**11.22**	**19.92**	**11.80**	**10.36**	**22.16**	**11.80**	**10.92**	**22.72**	**99.00**	**11.44**	**110.44**
35. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान													
35.01 समाज कल्याण-बाल कल्याण हेतु प्रावधान	2552	...	...	...	1038.14	...	1038.14	1000.49	...	1000.49	1080.70	...	1080.70
35.02 समाज कल्याण-महिला कल्याण हेतु प्रावधान	2552	...	...	...	60.66	...	60.66	35.31	...	35.31	173.30	...	173.30
35.03 पोषाहार हेतु प्रावधान	2552	...	...	...	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	11.00	...	11.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान		...	...	...	*1100.00*	...	*1100.00*	*1037.00*	...	*1037.00*	*1265.00*	...	*1265.00*

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	वास्तविक 2009-2010 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2009-2010 जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	बजट 2010-2011 आयोजना-भिन्न	बजट 2010-2011 जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	संशोधित 2010-2011 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2010-2011 जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	बजट 2011-2012 आयोजना-भिन्न	बजट 2011-2012 जोड़
36.	2236	-0.49	...	-0.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2251	-1.61	...	-1.61	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-2.10*	...	*-2.10*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***8482.32***	***73.67***	***8555.99***	***11000.00***	***70.50***	***11070.50***	***10370.00***	***74.27***	***10444.27***	***12650.00***	***83.00***	***12733.00***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	-0.39	...	-0.39	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
2. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	8474.50	...	8474.50	9886.20	...	9886.20	9319.20	...	9319.20	11284.00	...	11284.00
3. पोषण	22236	8.21	...	8.21	11.80	...	11.80	11.80	...	11.80	99.00	...	99.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	1100.00	...	1100.00	1037.00	...	1037.00	1265.00	...	1265.00
जोड़		**8482.32**	**...**	**8482.32**	**11000.00**	**...**	**11000.00**	**10370.00**	**...**	**10370.00**	**12650.00**	**...**	**12650.00**

1. **सचिवालय - सामाजिक सेवाएं ::** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर खर्च हेतु है। इसमें मंत्रालय में ई-शासन कार्यकलापों के सुदृढीक़रण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता पर व्यय भी शामिल है।

2. **समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.):** इसके अंतर्गत प्रावधान छह वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य, पोषण तथा शैक्षणिक सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान करने के लिए है। इस पैकेज में पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल है। स्कीम को सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार ने 7076 परियोजनाएं और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं, जिनमें 20 हजार मांग पर आंगनवाडियां शामिल हैं। वित्त वर्ष 2009-10 से भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच आई.सी.डी.एस. की निधियन पद्धति में आशोधन किया है। पूरक पोषण घटक को छोड़कर अन्य सभी घटकों हेतु केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच राशि के बंटवारे की पद्धति को बदलकर 90:10 कर दिया गया है। पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए अनुपात 50:50 बरकरार है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में पूरक पोषण के लिए अनुपात 90:10 कर दिया गया है। आई.सी.डी.एस. हेतु आबंटन 2010-11 में 8700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन हेतु 1035.81 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

3. **विश्व बैंक आई.सी.डी.एस.-IV परियोजना:** इसके अंतर्गत ऐसे चुनिंदा जिलों में, जहां बाल कुपोषण का स्तर बहुत ऊंचा है, आवश्यक तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता के माध्यम से प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और सेवा प्रदायगी में सुधार करने पर बल दिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी कार्यकलाप आई.सी.डी.एस.(सामान्य) के अंतर्गत चलाई जा रही गतिविधियों के अतिरिक्त होंगे। परियोजना हेतु 330 करोड़ रुपये के प्रावधान में 231 करोड़ रुपये का बाह्य सहायता घटक भी शामिल है।

4. **यूनीसेफ को अंशदान:** यह प्रावधान यूनीसेफ को भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय के लिए है।

5. **राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड):** इसका उद्देश्य बच्चों के सामाजिक विकास, बाल विकास के व्यापक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुपालनार्थ कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक कार्रवाई का विकास और प्रोन्नति करना है। यह संस्थान अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों को आयोजित करता है, जन-सहयोग तथा बाल विकास के क्षेत्र में सूचना सेवाएं प्रदान करता है तथा गुवाहाटी, बेंगलूर, इंदौर और लखनऊ स्थित अपने चार क्षेत्रीय केन्द्रों सहित नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। यह संस्थान आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं तथा आईसीपीएस तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं हेतु एक अग्रणी प्रशिक्षण अभिकरण के रूप में उभर कर आया है।

6. **कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम:** स्कीम का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिनकी पारिवारिक आय 12,000/-रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, के 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिवस देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत चलाए जाने वाले शिशु गृह बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच एवं प्रतिरक्षण आदि सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

7. **शिशुगृह स्कीम:** अब इस स्कीम का समेकित बाल संरक्षण स्कीम में विलय कर दिया गया है।

8. **बेसहारा बच्चों हेतु समेकित स्कीम:** अब इस स्कीम का समेकित बाल संरक्षण स्कीम में विलय कर दिया गया है।

9. **देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य कामकाजी बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे कि ऐसे बच्चों जिन्होंने या तो शिक्षा प्रणाली में प्रवेश नहीं लिया है अथवा किन्हीं अन्य कारणों से उनकी शिक्षा अधूरी रह गई है, उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में प्रवेश पुन: प्रवेश दिलाया जा सके, इस कार्यक्रम के अंतर्गत (श्रम मंत्रालय की परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले) बाल श्रमिकों तथा संभावित बाल श्रमिकों, विशेषकर मलिन बस्तियों/फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले, रेलवे प्लैटफार्मों पर रहने वाले, दुकानों एवं ढाबों में काम करने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

10. **किशोरों के सामाजिक कुसमंजन के निवारण एवं नियंत्रण हेतु स्कीम:** अब इस स्कीम का समेकित बाल संरक्षण स्कीम में विलय कर दिया गया है।

11. **केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण:** केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1990 में की गई तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसे पंजीकृत किया गया। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य भारतीय बच्चों के देश में और देश से बाहर दत्तक ग्रहण को विनियमित और मानीटरन करना है।

12. **समेकित बाल संरक्षण स्कीम:** मंत्रालय ने इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का प्रारंभ देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा कमजोर वर्गों के अन्य बच्चों के व्यापक विकास हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए किया है। यह स्कीम वर्ष 2009-10 से मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से वित्तीय लागत में भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। अब तक 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम घटकों में आश्रय गृह, बाल गृह, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह जैसी संस्थागत सेवाएं; केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर समर्पित सेवा प्रदायगी संरचनाएं; प्रायोजन, देखभाल, दत्तक ग्रहण, देखभाल उपरांत कार्यक्रम के माध्यम से परिवार आधारित संस्थागत देखभाल; चाइल्डलाइन तथा बालक खोज प्रणाली के माध्यम से आपात सेवाएं शामिल हैं।

13. **बालिकाओं के लिए बीमा सहित सशर्त नकदी अंतरण स्कीम (धनलक्ष्मी):** यह स्कीम केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका कार्यान्वयन सात राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के 11 ब्लॉकों में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। यह स्कीम बालिकाओं के साथ उनके जीवन में कदम-कदम पर किए जाने वाले भेदभाव, जैसे मादा भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं का अभाव, हिंसा एवं उत्पीड़न आदि के निवारण हेतु चलाई जा रही केंद्रीय क्षेत्र की प्रायोगिक स्कीम है। नकदी अंतरण बालिकाओं के परिवार (जहां तक संभव होगा माताओं को) को कुछ शर्तों के अध्यधीन अर्थात् बालिका के जन्म का पंजीकरण, प्रतिरक्षण, स्कूल में नामांकन तथा पढ़ाई जारी रखने की शर्तों को पूरा करने पर किया जाएगा।

http://indiabudget.nic.in

14. **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम (सबला):** यह स्कीम 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के लिए एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, इसे सबला के नाम से भी जाना जाता है। यह स्कीम समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के मंच का उपयोग करते हुए कार्यान्वित की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र इस स्कीम के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र बिंदु हैं। किशोरियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के पैकेज में पोषण प्रावधान, आई.एफ.ए. अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा परिवार कल्याण, बच्चों और घर की देखरेख के संबंध में परामर्श/मार्गदर्शन, जीवन कौशल शिक्षा एवं सार्वजनिक सेवाओं के लाभ उन तक पहुंचाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण (16 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं के लिए) शामिल हैं। आरंभ में स्कीम का क्रियान्वयन प्रायोगिक आधार पर देश भर के 200 जिलों में किया जाएगा।

15. **अन्य स्कीमें (बाल कल्याण):** इनमें राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल बोर्ड, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, बाल दिवस, अनुसंधान प्रकाशन, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, जो नवाचार परियोजना स्कीम भी कहलाती है, सूचना और जन-प्रचार माध्यमों तथा प्रकाशन हेतु किए जाने वाले प्रावधान शामिल हैं।

16. **महिला शिक्षा हेतु संक्षिप्त पाठयक्रम:** इस स्कीम का क्रियान्वयन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य उन महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है, जो विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने में असमर्थ होती हैं। इस स्कीम का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर स्कूल स्तर की परीक्षाओं के लिए पाठयक्रम आयोजित करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

17. **कामकाजी महिला होस्टल:** इस स्कीम में कामकाजी महिलाओं तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरान्त व्यावसायिक पाठयक्रमों में अध्ययन कर रही छात्राओं को सुरक्षित एवं सस्ता आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह स्कीम महिला/समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, महिला विकास निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

18. **प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप):** इस स्कीम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे परम्परागत क्षेत्रों अथवा स्थानीय रूप से व्यवहार्य किसी अन्य क्षेत्र में महिलाओं के कौशलों में सुधार लाकर इन क्षेत्रों में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा उनकी आयोत्पादक क्षमताओं में वृद्धि करना है। स्थानीय रूप से उपयुक्त क्षेत्रों के आरंभण से स्कीओम का क्षेत्र और विस्ताओर बढ़ाया गया है।

19. **केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड:** देश में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच मध्यस्थ के रूप में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। कई वर्षों से, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इस समय चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जागरुकता विकास कार्यक्रम, शिशुगृह स्कीम, परिवार परामर्श केन्द्र तथा अल्पावास गृह शामिल हैं। इन स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है।

20. **अल्पावास गृह:** यह स्कीम ऐसी महिलाओं और कन्याओं को अस्था यी आवास, रखरखाव एवं पुनर्वास सेवाओं द्वारा सुरक्षा और पुनर्वास मुहैया कराने के लिए है, जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनावों, सामाजिक बहिष्कार, शोषण अथवा अन्य कारणों से सामाजिक और नैतिक संकटों का सामना कर रही हैं । इस स्कीम में चिकित्सा देखभाल परामर्श व्यावसायिक उपचार, व्यावसायिक तथा मनोरंजन कार्यकलाप की सुविधाओं जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं ।

21. **जागरूकता विकास कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं समस्याओं का पता लगाने तथा उनके सम्मुख आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए उनमें संगठित होकर कार्य करने की भावना पैदा करना है । यह कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है ।

22. **राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अध्यधीन एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। इसे महिलाओं का संरक्षण करने के लिए संविधान तथा कानूनों के तहत, मामलों की जांच एवं अन्वेषण करने का अधिदेश प्राप्त है। यह शिकायतों की जांच करता और महिला अधिकारों से वंचित करने संबंधी मामलों का स्व प्रेरणा से संज्ञान लेता है। केंद्रीय सरकार अपने अधिदेश के निर्वहन करने के लिए आयोग को अनुदान देती है।

23. **राष्ट्रीय महिला कोष:** राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना वर्ष 1993 में 31 करोड़ रुपये की प्रारंभिक कोरपस निधि से की गयी, जिसे वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अंतर्गत बिना किसी ऋणाधार के अर्द्ध-औपचारिक सेवा तंत्र के माध्यम से निर्धन एवं वंचित महिलाओं को लघु ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें गैर-सरकारी संगठन, महिला सहकारिताएं और संघ आदि मध्यवर्ती संगठनों के रूप में कार्य करते हैं । आगामी कुछ वर्षों में कोष की कोरपस राशि को गैर-बैंकिंग वित्तीय विधि में परिवर्तित करके बढ़ाकर 500.00 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है ।

24. **स्वयंसिध्दा - चरण II:** यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्व-सहायता दलों के गठन, जागरुकता विकास, आर्थिक सशक्तीकरण एवं विभिन्न स्कीमों के संकेन्द्रण के माध्यम से महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के लिए प्रस्तावित स्कीम है । यह स्वयंसिद्धा चरण-1 के अनुभव पर आधारित है। स्वयंसिध्दा स्कीम के चरण-I का क्रियान्वयन 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 650 ब्लॉकों में किया गया।

25. **स्वाधार:** कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत को महसूस करते हुए, स्वाधार स्कीम वर्ष 2001-02 में शुरू की गई। स्कीम का उद्देश्य विधवाओं, देह-व्यापार से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा निराश्रित महिलाओं का व्यापक पुनर्वास करना है। स्कीम में महिलाओं के लिए भोजन एवं आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्कीम में विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने का भी प्रावधान है।

26. **देह-व्यापार को रोकने की व्यापक स्कीम (उज्ज्वला):** यह स्कीम, 2007 में शुरू की गई। इस स्कीम का उद्देश्य अवैध देह व्यापार का निवारण और अवैध व्यापार पीड़ित महिलाओं के बचाव, पुनर्वास व्यावसायिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार पीड़ितों को मुख्य धारा से पुन: जोड़ने और उनकी स्वदेश वापसी हेतु सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है।

27. **प्रियदर्शिनी स्कीम:** महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका कार्यक्रम के रूप में इस परियोजना का उद्देश्य निर्धन ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों को स्थायी और उन्नत आजीविका के अवसर देना एवं स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। इसे उत्तर प्रदेश के चार जिलों और बिहार के दो जिलों में अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की बाह्य सहायता से शुरू किया जाना है। इस परियोजना के लिए 26.10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें 24.35 करोड़ रुपये का बाह्य सहायता घटक शामिल है।

29. **महिलोन्मुख बजट आयोजना एवं लैंगिक आंकड़े:** इस स्कीम में कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों विभागों, राज्य सरकारों के विभागों तथा राज्य महिला आयोगों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं आदि को महिलोन्मुख बजट आयोजना की अवधारणा, कार्यनीतियों एवं उपायों की जानकारी देने तथा विभिन्न पक्षें द्वारा महिलोन्मुख बजट आयोजना के अंगीकरण को सुगम बनाने हेतु प्रशिक्षण नियमावलियां तैयार करने का प्रावधान भी है। इस स्कीम में मंत्रालय में महिलोन्मुख बजट आयोजना ब्यूरो गठित करने का प्रावधन है।

30. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना:** यह नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भधारण के 6 महीने के अंत से लेकर प्रसूति के बाद 6 महीने तक सीधे नकद राशि प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। माता तथा बालक के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विशिष्ट शर्तें पूरी करने पर गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 4000 रुपए मुहैया कराए जाएंगे। इस स्कीम का अल्पकालिक उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और दीर्घकालिक उद्देश्य उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। यह स्कीम प्रायोगिक आधार पर देशभर में 52 जिलों में क्रियान्विकत की जा रही है।

31. **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन:** यह राष्ट्रीय मिशन डा0 ए.आर. किदवई की अध्यक्षता में गठित राज्यपालों की समिति की सिफारिशों का परिणाम है । यह राष्ट्रीय मिशन अंतरमंत्रालयी संकेन्द्रण तंत्र है,, जो महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं की महिला सशक्तिकरण संबंधी स्कीमों, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगा और विभिन्न पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा ।

32. **अन्य कार्यक्रम (बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता और सहायक सेवाएं: पुनरूद्धारक न्याय की योजना):** यह स्कीम बलात्कार पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के साथ-साथ चिकित्सा, आश्रय, परामर्श आदि जैसी सहायक सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से पुनरूद्धारक न्याय देने के लिए है।

33. **राष्ट्रीय पोषण मिशन:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसके बाद 2008 में भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों के संबंध में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। परिषद की बैठक 24.11.2010 को आयोजित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा ये निर्णय लिए गए थे (i) आईसीडीएस योजना का सुदृढ़ीकरण और पुनर्संरचना, (ii) सबसे अधिक समस्याग्रस्त (चुनिंदा 200 जिलों में मातृत्व तथा बालकों के कुपोषण की

समस्या के समाधान के लिए बहुक्षेत्रक कार्यक्रम की शुरूआत, (iii) कुपोषण के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरूआत और (iv) संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों तथा स्कीमों में पोषण पर संकेद्रण करना।

34. **अन्य स्कीमें (पोषण शिक्षा स्कीम):** : भारत सरकार ने वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय पोषण नीति अंगीकृत की तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पोषण हेतु नोडल मंत्रालय बनाया। खाद्य एवं पोषण बोर्ड मुख्यत: पोषण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यकलापों तथा राष्ट्रीय पोषण नीति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई में संलग्न है।

35. **पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं स्कीमों हेतु प्रावधान:** पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लाभार्थ 1265.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । वर्ष के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं सिक्किम के लाभार्थ अलग-अलग स्कीमों के लिए निधियों को इस प्रावधान से पुनर्विनियोजित किया जाएगा।